"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 जून 2005—ज्येष्ठ 30, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग

[ वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2005

### अधिसूचना

क्रमांक-एफ -10/9/2004/वा.क. (पं.)/पांच (33).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-9-2004/वा.कर (पं.)/पांच (32), दिनांक 28-2-2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुच्छेद-23 (क) के स्थान पर अनुच्छेद-23 पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2005

क्रमांक एफ-10/9/2004/वा.क. (पं.)/पांच (33).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/9/2004/वा.क. (पं.)/पांच (33), दिनांक 20-6-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा**, उप-सचिव.

Raipur, the 20th June 2005

NOTIFICATION

No. F-10/9/2004/C.T.(R)/V(33).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) the State Government hereby makes the following further amendments in this departments Notification No. F-10-9-2004-CT (R)/V (32) dated 28-2-2004, namely :—

AMENDMENT

In the said notification the word "clause (a) of article 23" should be read as "article-23".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.